पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–22] रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 जनवरी, 2021 ई0 (पौष 26, 1942 शक सम्वत्) [संख्या–03

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	27–35	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	51–57	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	01–11	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1

अधिसूचना

09 दिसम्बर, 2020 ई0

संख्या 1865/XXVIII-1/20–01(39) 2018–चूंकि वर्तमान में कोविड–19 महामारी के परिदृश्य में राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है।

अतएव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश अतिआवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–30, वर्ष 1966) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा–3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तत्काल प्रभाव में 31 मार्च, 2021 तक के लिये उत्तराखण्ड राज्य के "चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग" के समस्त चिकित्सकों/कार्मिकों एवं राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पी0जी0 अध्ययनरत् चिकित्सकों की समस्त सेवाओं को अत्यावश्यक सेवायें घोषित करते हुये, उनकी हडताल आदि को निषिद्व करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
मुख्य सचिव।

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–6

संशोधन

11 दिसम्बर, 2020 ई0

संख्या 109/XXX(6)/20–20(04)16– 1. उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20, वर्ष 2011) की धारा–03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जन सामान्य को नियत समय–सीमा में सेवा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्याः 1337/XXX(13)/G/2011 दिनांक 28.10.2011 में निम्नांकित संशोधन किये जाते है :–

2. समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं में से क्रमांक 02 पर अधिसूचित सेवा गौरा देवी कन्याधन योजना को संदर्भित अधिसूचना से विमुक्त (Denotified) किया जाता है।

3. समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं में से क्रमांक 04 पर अधिसूचित सेवा जनश्री बीमा योजना को संदर्भित अधिसूचना में "श्रम एवं सेवायोजन विभाग" को स्थानान्तरित किया जाता है।

तत्क्रम में शासनादेश संख्याः 1337/XXX(13)/G/2011, दिनांक 28.10.2011 को उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाये।

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

01 जनवरी, 2021 ई0

संख्या 03 / XXXI(1) / 2021 / पदो0–01 / 2020–उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत अनुसचिव के पद पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त उप सचिव, वेतन लेवल–12 (वेतनमान रू0 78,800–रू0 2,09,200) के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) श्री अखिलेश मिश्रा

(2) सुश्री रीता क्वीरा

(3) श्री हीरा सिंह बसेड़ा

2– उपरोक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपसचिवों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3– उक्त प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 70 / डी0बी0 / 2019 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4– उक्त पदोन्नत उपसचिवों की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

01 जनवरी, 2021 ई0

संख्या 04 / XXXI(1) / 2021 / पदो0–01 / 2020–उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त अनु सचिव, वेतन लेवल–11 (वेतनमान रू0 67,700–रू0 2,08,700) के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) श्री आर0 के0 पाण्डे

(2) श्री सुधीर सिंह नेगी

(3) श्री राजेन्द्र सिंह झिक्वाण

2– उपरोक्त पदोन्नति के फलस्वरूप अनुसचिवों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3– उक्त प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 70 / डी0बी0 / 2019 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4– उक्त पदोन्नत अनुसचिवों की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

01 जनवरी, 2021 ई0

संख्या 05 / XXXI(1) / 2021 / पदो0–03 / 2020–उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतन लेवल–10 (वेतनमान रू0 56,100–रू0 1,77,500) के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) श्री अरविन्द शर्मा

(2) श्रीमती वन्दना असवाल

(3) श्रीमती पूनम जोशी

(4) सुश्री युक्ता मित्तल

2– उपरोक्त अनुभाग अधिकारियों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3– उक्त प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 70 / डी0बी0 / 2019 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4– उक्त पदोन्नत अनुभाग अधिकारियों की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

5– उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–01 में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,

अपर मुख्य सचिव।

शहरी विकास अनुभाग–3

अधिसूचना

04 दिसम्बर, 2020 ई0

संख्या 1479 / IV(3) / 2020–57(सा0) / 2006–उत्तराखण्ड राज्य स्थित नगर पालिका परिषद्, चिन्यालीसौड़ के वार्ड नं0–06, के सभासद पद पर निर्वाचित श्री मनवीर सिंह मेहरा के आकस्मिक निधन होने के कारण उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 56 के प्राविधानों के क्रम में नगर पालिका परिषद्, चिन्यालीसौड़ के वार्ड संख्या–06 के सभासद पद को एतद्द्वारा रिक्त घोषित किया जाता है।

शैलेश बगौली,

सचिव।

गृह अनुभाग–4

अधिसूचना

22 दिसम्बर, 2020 ई0

संख्या 1062/XX-4/2020–1(53)/2019–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सम्मिलित सिविल सेवा परीक्षा, 2016 के आधार पर नियुक्ति हेतु की गयी संस्तुति के क्रम में विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या–1155/XX-4/2019–1(53)/2019, दिनांक 19–12–2019 के द्वारा अभ्यर्थी श्री सुमित त्रिपाठी निवासी 23/316(2) साकेत नगर, पूर्वी थाना–कोतवाली सदर, देवरिया, उत्तर प्रदेश को उत्तराखण्ड कारागार विभाग में अधीक्षक कारागार वेतनमान रू0 56,100–1,75,500 (लेवल–10) के पद पर कतिपय शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान करते हुए प्रथम नियुक्ति पर उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 23–12–2019 से 12 सप्ताह के आधारभूत प्रशिक्षण हेतु तैनात किया गया था।

2– शासन के पत्र संख्या–420/XX–4/2020–1(53)/2019, दिनांक 29–07–2020 के द्वारा श्री सुमित त्रिपाठी को 15 दिवस का अतिरिक्त समय प्रदान करते हुए सूचित किया गया कि यदि उक्त अवधि के भीतर उनके द्वारा कारागार मुख्यालय में योगदान ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह मान लिया जायेगा कि वह कारागार अधीक्षक के पद के लिए इच्छुक नहीं है। श्री सुमित त्रिपाठी द्वारा पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी कारागार अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया।

3– श्री सुमीत त्रिपाठी को कारागार अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु पर्याप्त समय प्रदान किये जाने के पश्चात् भी उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाना यह इंगित करता है कि वे उत्तराखण्ड राज्य में कारागार अधीक्षक के पद पर कार्य करने के इच्छुक नहीं है। अतः श्री सुमित त्रिपाठी निवासी 23/316(2) साकेत नगर, पूर्वी थाना–कोतवाली सदर, देवरिया, उत्तर प्रदेश की विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या–1155/XX–4/2019–1(53)/2019, दिनांक 19–12–2019 के द्वारा कारागार अधीक्षक वेतनमान रू0 56,100–1,75,500 (लेवल–10) के पद का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,
सचिव।

लोक निर्माण अनुभाग–03

आंशिक संशोधन आदेश

31 दिसम्बर, 2020 ई0

संख्या 1662/III(3)/2020–103(एन0एच0)2006–लोक निर्माण अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 428/III(3)/2020–103(एन0एच0)2006 दिनांक 03.07.2020 द्वारा राज्य के महत्वपूर्ण मार्गों को राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग तथा अन्य जिला मार्ग में परिवर्तित/उच्चीकृत किया गया है।

2– मुख्य अभियन्ता स्तर–।। (नियोजन), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–1277/83 याता0'क'/2020 (C.N.1028) दिनांक 14.12.2020 के क्रम में उक्त शासनादेश दिनांक 03.07.2020 की सूची में नये घोषित प्रमुख जिला मार्ग (MDR) के क्रमांक–86 पर उल्लिखित रामगढ़–मल्ला–डाक बंगला–झूतिया मुख्य जिला मार्ग की **लम्बाई "34.13 किमी0" के स्थान पर "11.53 किमी0"** पढ़ी जाय।

3– शासनादेश संख्या–428/III(3)/20–103(एन.एच.)2006 दिनांक 03.07.2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

रमेश कुमार सुधांशु,
सचिव।

वन अनुभाग–1

कार्यालय–ज्ञाप

07 दिसम्बर, 2020 ई0

संख्या 2119/X–1–2020–04(06)/2014 टी0सी0–वन अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के स्थानान्तरण/तैनाती आदेश सं0–1994(8)/X–1–2020–14(10)/2014 टी0सी0–1, दिनांक 02.11.2020 द्वारा श्री संदीप कुमार (भा0व0से0–उत्तराखण्ड संवर्ग), उप वन संरक्षक को उप वन संरक्षक, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के पद पर तैनाती प्रदान की गई है।

2– उक्त स्थानान्तरण/तैनाती के सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0–क–613/3–1, दिनांकः 06.11.2020 द्वारा पूर्व की भॉति उक्त आदेश में उप वन संरक्षक/उप निदेशक, उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी के अतिरिक्त कार्यभार का उल्लेख नहीं होने के क्रम में अकादमी के अन्तर्गत आहरण–वितरण का कार्य प्रभावित न होने के दृष्टिगत श्री संदीप कुमार (भा0व0से0), उप वन संरक्षक, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी को उप निदेशक, उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3– अतः इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त श्री संदीप कुमार (भा0व0से0–उत्तराखण्ड संवर्ग), उप वन संरक्षक, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी को उप निदेशक, उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी के पद पर तात्कालिक प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक अतिरिक्त रूप से तैनात किया जाता है।

4– उक्त अतिरिक्त प्रभार हेतु श्री संदीप कुमार को किसी भी प्रकार के अतिरिक्त वेतन/भत्ते आदि अनुमन्य नहीं होंगे।

5– श्री संदीप कुमार, उप वन संरक्षक को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल उप निदेशक, उत्तराखण्ड वानिकी प्रशिक्षण अकादमी, हल्द्वानी का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करते हुए अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध करायें।

विजय कुमार यादव,
अपर सचिव।

कृषि एवं कृषि कल्याण अनुभाग–1

पदोन्नति/तैनाती

22 दिसम्बर, 2020 ई0

संख्या 2668/XIII-1/2020–3(04)2012–कृषि विभाग, उत्तराखण्ड में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1 (रसायन शाखा) में प्रोन्नति के रिक्त पदों पर नियमित पदोन्नति हेतु उत्तर प्रदेश, कृषि सेवा समूह 'ख' सेवा नियमावली 1995 (उत्तराखण्ड में यथा अनुकूलित/उपान्तरित आदेश 2002) के सुसंगत नियमों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के प्रासंगिक प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय श्रीमती दिव्या जोशी, अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1, (रसायन शाखा) को तात्कालिक प्रभाव से कृषि सेवा श्रेणी–2 (रसायन शाखा) में चयन वर्ष 2019–20 की रिक्ति के सापेक्ष वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 5400/पुनरीक्षित वेतनमान–56100–177500 (लेबल–10) में नियमित पदोन्नति करते हुए सहायक निदेशक, मृदा परीक्षण, श्रीनगर गढ़वाल के रिक्त पद पर तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्रीमती दिव्या जोशी को निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नत पद व नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल अपर निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी कार्यालय में योगदान कर कार्यभार प्रमाणक कृषि निदेशक एवं शासन को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

पदोन्नति/तैनाती

22 दिसम्बर, 2020 ई0

संख्या 2674/XIII-1/2020–3(08)2011–कृषि विभाग, उत्तराखण्ड में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1 (सांख्यिकी शाखा) में प्रोन्नति के रिक्त पदों पर नियमित पदोन्नति हेतु उत्तर प्रदेश, कृषि सेवा समूह 'ख' सेवा नियमावली 1995 (उत्तराखण्ड में यथा अनुकूलित/उपान्तरित आदेश 2002) के सुसंगत नियमों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के प्रासंगिक प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1, (सांख्यिकी शाखा) के अधोलिखित अधिकारियों को तात्कालिक प्रभाव से कृषि सेवा श्रेणी–2 (सांख्यिकी शाखा) में चयन वर्ष 2017–18 तथा चयन वर्ष 2018–19 की रिक्ति के सापेक्ष वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 5400/पुनरीक्षित वेतनमान–56100–177500 (लेबल–10) में नियमित पदोन्नति करते हुए सहायक निदेशक (सांख्यिकी) के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदनाम/तैनाती स्थल	प्रोन्नति उपरान्त तैनाती स्थल
1	2	3	4
1.	श्री यतीश पंत	अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1, कार्यालय संयुक्त कृषि निदेशक कुमॉऊ मण्डल हल्द्वानी।	कार्यालय संयुक्त कृषि निदेशक, कुमॉऊ मण्डल, हल्द्वानी।
2.	श्री रामेश्वर प्रसाद सेमवाल	अपर सांख्यिकी अधिकारी वर्ग–1, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।	कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

2. उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नत पद व नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल कृषि निदेशालय तथा संयुक्त कृषि निदेशक, हल्द्वानी कार्यालय में योगदान कर कार्यभार प्रमाणक कृषि निदेशक एवं शासन को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

डा0 राम बिलास यादव,
अपर सचिव।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1

अधिसूचना

विज्ञप्ति

07 दिसम्बर, 2020 ई0

संख्या 1465 / VII-A-1 / 2020 / 46 ख / 17–उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 23(1) के प्रावधानानुसार विज्ञप्ति संख्या–2966 / VII-1 / 2018 / 46 ख / 17, दिनांक 03 जनवरी, 2019 द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत निम्न उपखनिज क्षेत्रों को ई–निविदा सह–ई–नीलामी के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञापित किया गया है, को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 24 के अन्तर्गत वापस लिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र० सं०	ग्राम एवं तहसील	नदी का नाम	खसरा सं०	क्षेत्रफल (है०)	भूमि की श्रेणी / राजस्व / निजी	उपखनिज की मात्रा टन में	खनिज का प्रकार
1.	ग्राम खमिया नं० 3, तहसील किच्छा	गोला नदी	119	0.22 है०	राजस्व (श्रेणी 5–3–ड) की बंजर	7260 टन	आर०बी०एम०
2	साधुनगर, तहसील सितारगंज	कैलाश नदी	638 / 2, 638 / 3 वर्ग–06 (1)	5.166है०	राजस्व	170478 टन	आर०बी०एम०

आज्ञा से,

एन0एस0 डुंगरियाल,
संयुक्त सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

01 दिसम्बर, 2020 ई0

संख्या 1355/XXXI(1)/2020/पदो0–03/2020–उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री दिशान्त को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतन लेवल–10 (वेतनमान रु0 56,100–रू0 1,77,500) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री दिशान्त, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3– उक्त प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 70/डी0बी0/2019 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4– श्री दिशान्त अनुभाग अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

भूपाल सिंह मनराल,
सचिव (प्रभारी)

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 हिन्दी गजट/03–भाग 1–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 जनवरी, 2021 ई0 (पौष 26, 1942 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY,

HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

December 08, 2020

No. 1128/III-A-02/SLSA/2020-Smt. Tricha Rawat, Secretary, District Legal Services Authority, Bageshwar is hereby sanctioned Earned Leave for a period of 18 days w.e.f. 18.11.2020 to 05.12.2020 alongwith permission of suffix of 06.12.2020 as Sunday holiday.

By order of the Hon'ble Executive Chairman,

Sd /-

DR. G. K. SHARMA,

Member Secretary.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND NAINITAL

CHARGE CERTIFICATE

(Taking over on transfer)

December 14, 2020

No. 5401/UHC/Admin.A/2020--CERTIFIED that the charge of office of the Registrar (Protocol), High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned in the afternoon of 07.12.2020 in compliance of Notification No. 258/UHC/Admin.A/2020 dated 03.12.2020 of High Court of Uttarakhand, Nainital.

ANIRUDH BHATT,

Relieving Officer.

Countersigned,

HIRA SINGH BONAL,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand, Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(Taking over on transfer)

December 14, 2020

No. 5402/UHC/Admin.A/2020--CERTIFIED that the charge of office of the Registrar (Computer), High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned in the afternoon of 07.12.2020 in compliance of Notification No. 257/UHC/Admin.A/2020 dated 03.12.2020 of High Court of Uttarakhand, Nainital.

AMBIKA PANT,

Relieving Officer.

Countersigned,

HIRA SINGH BONAL,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand, Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(Handing over on transfer)

December 14, 2020

No. 5403/Admin.(A)-UHC/2020--CERTIFIED that the charge of office of the Registrar (Computer), High Court of Uttarakhand, Nainital has been handed over by the undersigned in the afternoon of 07.12.2020 in compliance of Notification No. 255/UHC/Admin.A/2020 dated 03.12.2020 of High Court of Uttarakhand, Nainital.

MANOJ GARBYAL,

Relieved Officer.

Countersigned,

HIRA SINGH BONAL,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand.

CHARGE CERTIFICATE

(Handing over on transfer)

December 14, 2020

No. 5404/Admin.(A)-UHC/2020--CERTIFIED that the charge of office of the Registrar (Protocol), High Court of Uttarakhand, Nainital, has been handed over by the undersigned in the afternoon of 07.12.2020 in compliance of Notification No. 255/XXXVI-A-3/2020-208/01-T.C.-I dated 04.12.2020 issued by Department of Law-3, Government of Uttarakhand, Dehradun.

SUJEET KUMAR,

Relieved Officer.

Countersigned,

HIRA SINGH BONAL,

Registrar General,

High Court of Uttarakhand.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

December 17, 2020

No. 267/XIV/a-59/Admin.A/2012-Ms. Payal Singh, Additional Chief Judicial Magistrate, Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 22 days *w.e.f.* 15.10.2020 to 05.11.2020.

NOTIFICATION

December 18, 2020

No. 268/XIV-28/Admin.A/2011-Shri Mohammad Yaqoob, 2nd Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun is hereby sanctioned paternity leave for 15 days *w.e.f.* 23.11.2020 to 07.12.2020 with permission to prefix 22.11.2020 as Sunday holiday, in terms of G.O. No. 819/XXXVII(7)34/2010-11 dated 31.12.2013.

NOTIFICATION

December 18, 2020

No. 269/XIV-a/19/Admin.A/2008-Ms. Geeta Chauhan, Additional District & Sessions Judge, Karnprayag, District Chamoli is hereby sanctioned earned leave for 12 days *w.e.f.* 17.11.2020 to 28.11.2020 with permission to prefix 12.11.2020 to 16.11.2020 as holidays and suffix 29.11.2020 & 30.11.2020 as holidays.

NOTIFICATION

December 22, 2020

No. 277/XIV-a-34/Admin.A/2015-Ms. Afiya Mateen, the then 7th Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun presently posted as 8th Additional Civil Judge (Sr.Div.), Dehradun is hereby sanctioned maternity leave for 180 days *w.e.f.* 17.06.2020 to 13.12.2020.

NOTIFICATION

December 24, 2020

No. 278/XIV/52/Admin.A-Shri Rajendra Joshi, the then District & Sessions Judge, Pithoragarh (now transferred as District & Sessions Judge, Nainital, vide notification no. 273/UHC/Admin.A/2020 dated 22.12.2020), is hereby sanctioned earned leave for 11 days *w.e.f.* 01.12.2020 to 11.12.2020 with permission to prefix 29.11.2020 to 30.11.2020 as 2nd Saturday and Sunday holidays and suffix 12.12.2020 to 13.12.2020 as 2nd Saturday and Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

December 29, 2020

No. 280/XIV-79/Admin.A/2003-Smt. Neelam Ratra, Additional District & Sessions Judge, Laksar, District Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 02.12.2020 to 11.12.2020 with permission to suffix 12.12.2020 & 13.12.2020 as 2nd Saturday and Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

December 29, 2020

No. 281/XIV-2/Admin.A/2008-Sri Pradeep kumar Mani, Additional District & Session Judge, Khatima, District Udham Singh Nagar, is hereby sanctioned **earned leave for 25 days *w.e.f.* 17.11.2020 to 11.12.2020** with the permission to prefix 12.11.2020 to 14.11.2020 as Deepawali holidays, 15.11.2020 as Sunday holiday, 16.11.2020 as local holiday and suffix 12.12.2020 & 13.12.2020 as 2nd Saturday and Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

December 29, 2020

No. 282/XIV-a-59/Admin.A/2012-Smt. Payal Singh, Additional Chief Judicial Magistrate, Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned child care leave for 19 days *w.e.f.* 01.12.2020 to 19.12.2020 with permission to suffix 20.12.2020 as Sunday holiday, in terms of Office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011 dated 30.05.2011 issued by Government of Uttarakhand.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd /-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

December 29, 2020

No. 283/UHC/Admin.A/2020--Shri Vinod Kumar, 1st Additional District & Sessions Judge, Nainital is transferred and posted as 1st Additional District & Sessions Judge, Kashipur District Udham Singh Nagar, vice Ms. Pritu Sharma.

NOTIFICATION

December 29, 2020

No. 284/UHC/Admin.A/2020--Ms. Pritu Sharma, 1st Additional District & Sessions Judge, Kashipur, District U.S. Nagar is transferred and posted as 1st Additional District & Sessions Judge, Nainital, vice Shri Vinod Kumar.

The above orders will come into force with immediate effect.

By Order of the Court,

Sd/-

DHANANJAY CHATURVEDI,

Registrar General.

NOTIFICATION

December 31, 2020

No. 286/XIV-a-27/Admin.A/2012--Ms. Chhavi Bansal, Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 19 days *w.e.f.* 10.11.2020 to 28.11.2020, with permission to suffix 29.11.2020 & 30.11.2020 as holidays.

NOTIFICATION

December 31, 2020

No. 287/XIV-71/Admin.A/2003--Smt. Neena Aggarwal, Additional District Judge/F.T.S.C./POCSO, Roorkee, District Hardwar, is hereby sanctioned earned leave for 19 days *w.e.f.* 01.12.2020 to 19.12.2020 with permission to prefix 29.11.2020 & 30.11.2020 as Sunday & Gurunanak's Birthday holidays and suffix 20.12.2020 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

December 31, 2020

No. 288/XIV-20/Admin.A/2008--Ms. Meena Deopa, Additional District Judge/Special Judge, POCSO, District Dehradun, is hereby sanctioned earned leave for 30 days *w.e.f.* 17.11.2020 to 16.12.2020.

NOTIFICATION

December 31, 2020

No. 289/XIV-a/33/Admin.A/2013--Ms. Nazish Kaleem, Civil Judge (Senior Division), Champawat is hereby sanctioned medical leave for 18 days *w.e.f.* 26.11.2020 to 13.12.2020.

NOTIFICATION

December 31, 2020

No. 291/XIV-14/Admin.A/2008--Sri Dharmendra Kumar Singh, Chief Judicial Magistrate, Champawat is hereby sanctioned medical leave for 15 days *w.e.f.* 07.12.2020 to 21.12.2020.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 हिन्दी गजट/03–भाग 1–क–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 16 जनवरी, 2021 ई0 (पौष 26, 1942 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पालिका परिषद् जोशीमठ

सार्वजनिक सूचना

04 नवम्बर, 2020 ई0

संख्या 451/सी0एम0सी/उपविधि–मुद्रण/2020–21–नगर पालिका परिषद् जोशीमठ, चमोली सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–298 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की उपधारा–2 खण्ड–(ख) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद् जोशीमठ द्वारा "फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम–2020" बनायी जाती हैं, जो नगर पालिका अधिनियम–2016 की धारा–30 (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एंव आपत्तियॉं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद जोशीमठ चमोली को प्रेषित की जा सकेगी। वाद मियाद प्राप्त आपत्तियों एंव सुझावों पर कोई विचार नही किया जायेगा।

अध्याय–1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागे होने की तारीखः
(1) ये उपनियम नगर पालिका परिषद जोशीमठ, चमोली "फीकल स्लज एंव सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम–2020" कहलायेगा।
(2) ये उपनियम नगर पालिका परिषद जोशीमठ, चमोली के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।
2. ये उपनियम नगर पालिका परिषद जोशीमठ की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

1. प्रसंगः–

देश का विगत अनुभव दिखाता है ,कि सेप्टिक टैंक और अवधीय जो डिजाइन से सम्बन्धित है और परिवार और ग्रामीण संस्थाओं द्वारा वर्षों से अनुपालन किया जा रहा है, वह इस समय सोचनीय प्रबंधन में है। यह महत्वपूर्ण है कि एक उचित वैज्ञानिक प्रबंध इन मामलों में/सेप्टेज का अनुपालन किया जाता है, ताकि सेप्टेज/फीकल स्लज सेप्टिक टैंक, गड्ढे, शौचालय, पर्यावरण नदी एंव अन्य पानी के स्रोत को प्रदूषित न करें।

1.1 राष्ट्रीय फीकल स्लज एंव सेप्टेज प्रबंधकीय नीतिः

इस पहलू को संबोधित करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने एक फामूर्ला प्रकाशित किया है, राष्ट्रीय फीकल स्लज एंव सेप्टेज प्रबंध नीति" वर्ष 2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रुप से स्वच्छ, तंदुरुस्त और जीवित बने रहे और अच्छी सफाई भी बनी रहे। जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही फीकल स्लज और सेप्टेज और सेपटेज प्रबंधक, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सके और स्वच्छ वातावरण बना रहे, जिसमें गरीबो पर ध्यान केंन्द्रित किया जाये।

शहरी नीति का मुख्य उद्वेश्य एक प्रसन्न, ग्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र में हो सके, जैसे कि सुरक्षित और स्थायी सफाई व्यवस्थां एक वास्तविकता प्रत्येक परिवार के लिये गलियों में नगर और शहरों मे बनी रह सके।

1.2 उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोलः

आदरणीय एन0जी0टी0 आदेश सं0 10/2015 दिनॉक 10–12–2015 ने निम्न निर्देश निर्गत किये है, जो कि उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबंध से सम्बन्धित है। " उचित प्रबंध योजना या प्रोटोकोल तैयार किया जायेगा और राज्य द्वारा तथा समस्त एजेन्सी द्वारा सूचित किया जायेगा। यह आशान्वित रखने के लिए कि सीवरेज की निकासी जो कि सामान्य सेप्टिक टैंक में या बायो डाइजेस्टर में एकत्रित की जाती है, नियमित रुप से खाली की जाये और उसका उचित प्रबंध किया जाये और उसके परिणामस्वरुप खाद जो इस प्रकार से एकत्रित हुई है वह निशुल्क किसानो में वितरित की जाये और इस उद्वेश्य हेतु राज्य प्रशासन एक प्रभावी भागीदारी सम्बन्धित नगर पालिका/पंचायत कहलायेगी।

उपरोक्त के अनुपालन में और जल आपूर्ति एंव सीवेरेज अधिनियम 1975/नगरपालिका अधिनियम 2016 शहरी विकास निर्देशालय जो कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के समन्वय से होगा, उन्होने एक प्रोटोकोल सेप्टेज प्रबंध के लिय तैयार किया है, जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सराकार द्वारा सूचित किया गया है, ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सके आदेश संख्या 597/ पअ(2)–श0वि0–2017–50 (सा0)/16 दिनॉक 22–05–2017 राज्य का सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल राज्य और शहरों को यह दिग्दर्शन कराता है, ताकि वैज्ञानिक सेप्टेज प्रबंध बना रहे, जो एकत्रीकरण, परिवहन,इलाज, सेप्टेज/फीकल स्लज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके। स्पष्ट दिशा निर्देश इस प्रोटोकोल के है कि राज्य और शहरी अधिकारियों को इस योग्य बनाया जाये कि वे अपने सेप्टेज प्रबंध का उच्चीकरण कर सके और परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सके। इस प्रोटोकोल के प्रभावी कियान्वयन के लिए और आंतरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सेप्टेज मैनेजमेन्ट सेल का आयोजन किया गया है, जिसके अर्न्तगत नगर पालिका परिषद जोशीमठ , जल निगम, जल संस्थान होंगे।

2– नगरीय उपकानून/फीकल स्लज एंव सेप्टेज प्रबंध का नियमितिकरणः

सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल के अनुसार जो कि शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या–597/ पअ(2)–श0वि0–2017–50 (सा0)/16 दिनॉक 22–05–2017 एंव समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगर पालिका परिषद जोशीमठ नियमित ढॉचा रिक्त करने, एकत्र करने परिवहन और सेप्टेज/फीकल स्लज के परिवहन एंव निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है। फीकल स्लज एंव सेप्टेज प्रबंध उपनियम के अर्न्तगत, जो कि यहॉ स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पालिका परिषद जोशीमठ के क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत सूचित किया जाता है।

3. उद्देश्य एंव कार्यक्षेत्रः

नियमावली के उद्देश्य एंव कार्यक्षेत्र निम्नवत् हैः

1. निर्माण, सेप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गढडे, परिवहन इलाज और सुरक्षित रखरखाव जो कि सलज और सेप्टेज से सम्बन्धित है।
2. क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है, उसको निर्देशित करना जो कि सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से और फीकल स्लज एंव सेप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है, ताकि वे इन निर्देर्शो का अनुपालन सुनिश्चित कर सके।
3. उचित निरीक्षण प्रदान करना और मशीनरी का अनुपालन।
4. लागत वसूली सुनिश्चित करना जो सलज के और सेप्टेज प्रबंध के उचित प्रबंध हेतु है।
5. निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फीकल सल्ज एंव सेप्टेज प्रबंध में सहभागी की सुविधा देना।

4. एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज और सेप्टेज के खुर्द–खुर्द हेतु एक प्रकिया अपनानाः

4.1 सेप्टिक टैंक और सेप्टेज/ फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करनाः

- सेप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है, उसको काटना और एक बार उसको ठीक करना, जो कि गहराई में पहुँच गया है, या बार बार के आखिर में जो डिजाइन, जो कोई भी पहले आवे।
- जबकि सल्ज को सुखाना और सेप्टिक टैंक को जो द्रव्य, उसको भी सुखाना। मैकेनिकल वेक्यून टैंकर का भी उपयोग नगरीय अधिकारियों द्वारा सेप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए।
- सुरक्षा प्रकिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकोल मे वर्णित है, को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

4.2 सेप्टेज/फीकल स्लज का परिवहनः

1. फीकल सल्ज एंव सेप्टेज ट्रार्सपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे। जैसा कि समय–समय पर एस0एम0सी0 द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

2. फीकल सल्ज एंव सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे किः

अ. पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अर्न्तगत समस्त उपकरण जो कि परिवहन हेतु इस्तेमाल किये जायेंगे फीकल सल्ज एंव सेप्टेज हेतु। जो कि छिद्र निरोधी होगा और फीकल सल्ज एंव सेप्टेज के सुरक्षा हेतुं ताला बंद रहेगा और लागू किये जाने योग्य मानदंड का अनुपालन करेंगे।

ब. कोई भी टैंक और उपकरण जो फीकल सल्ज एंव सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नही किया जायेगा।

4.3 सेप्टेज का निष्पादन और इलाज :

राज्य सेप्टेज मैनेजमेट प्रोटोकोल के अनुसार प्रत्येक नगर को अपनी एक इकाई होगी। अगर पहले से 25 किमी0 के अंर्तगत स्थित है तो सेप्टेज को नजदीकी एस0टी0पी0 में परिवहन किया जायेगा, अन्यथा एक अलग सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लान का निर्माण किया जायेगा।

5. सुरक्षा उपाय :–

1. उचित तकनीकी शयंत्र, सुरक्षा, उपकरण का प्रयोग करते हुये मल निस्तारण किया जाना चाहिए जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य सेप्टेज प्रबंधक प्रोटोकोल 2017 में वर्णित हैं।

2. फीकल सल्ज एंव सेप्टेज ट्रासंपोर्टर यह आशान्वित करें कि :

अ. समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सेपटी गेयर और यंत्र जिसके अर्न्तगत कंधे की लंबाई तक पूरा काटेड लियोप्रीन लोपस, रबड बूट, चेहरे का मास्क और ऑखो की सुरक्षा जैसा कि रोजगार का नियन्त्रण जो कि मेनवल स्कोवेंजर और उनके पुनर्वास नियम 2013 में उल्लिखित है।

ब. समस्त सुरक्षा उपकरण एकत्रीकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जाये।

स. समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओ को सुरक्षा गियर और स्वास्थ्यवर्धक उपकरण की शिक्षा दी जानी चाहिए।

द. प्रथम सहायता किट, गैस का पता करने वाला लैंप, आग बुझाने वाले यन्त्र, मल निस्तारण गाडी में रखे जाते हैं, जिससे पहले कि यह एकत्रीकरण क्षेत्र में जाता है।

य धुम्रपान जबकि सेप्टिक टैंक और पिट लैट्रिन में काम चल रहा हो, धुम्रपान वर्जित है।

र. मल निस्तारण कार्यकर्ता सेप्टिक टैंक में और शौचालयय गड्ढे में प्रवेश नही करेंगे और आच्छादित टैंक को हवा के लिऐ आना–जाना रखेंगे, जो कि इस कार्य को शुरु करने से पहले किया जाना आवश्यक है।

ल. बच्चों को टैकं के ढक्कन से दूर रखा जाये, ताकि वे टैंक के स्क्रू और ताले से सुंरक्षित रहे। कर्मचारी सवाधान रहेंगे कि जब मल निस्तारण प्रकिया चल रही हो, जो कि ढक्कन कर अत्यधिक भार हेतु है या मेन हॉल का आच्छादन टूटने से बचा रहे।

6. सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहनः

6.1 नगर पालिका परिषद जोशीमठ चमोली दर्ज करेगा और लाईसेन्स निर्गत करेगा। निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन उपलब्ध हो। इस प्रकार का लाईसेंस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि वह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है। सेप्टेज ट्रांसपोर्टर और उसका पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करेगा, जो कि गाडियों के परिवहन हेतु होगा। ये निजी व्यक्ति को भी अपने इस कार्य में उत्साहित करेंगे। पंजीकरण प्रपत्र और परमिट परिशिष्ट–ए, 2 में संलग्न है।

6.2 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्टेज ट्रॉसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जायेगा, जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्टेज के प्रयोजन हेतु है। जब तक इसका पंजीकरण सेप्टेज ट्रांसपोर्टेशन फीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकोलों में जब तक पंजीकृत नही हैं।

सारणी 1 पंजीकरण व्यय

अ.	प्रारम्भिक पंजीकरण	: रु0 2,000.00 प्रति गाडी
ब.	नवीनीकरण	: रु0 1500.00 प्रति गाडी
स.	नाम परिवर्तन या स्वामित्व का परिवर्तन	: रु0 1000.00 प्रति गाडी
द.	अन्य संषोधन आवष्यकतानुसार	: रु0 1000.00 प्रति गाडी

(समस्त लागत दर 10 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से बढेगा)

- पंजीकरण व्यय जैसा कि सांकेतिक है निकाय के बोर्ड द्वारा जो स्वीकृत है, उसमें अंतर आ सकता है।

7. उपभोक्ता लागत और इसका संचयः

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि निकाय में फीकल सल्ज एंव सेप्टेज उपनियम में समय–समय पर दर्शाया गया है जो कि सेप्टिक टैंक के भरने, शौचालय के गड्ढे, परिवहन और फीकल सल्ज एंव सेप्टेज के उपाय हेतु है।

7.2 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन की प्रणाली उपलब्ध है, जो कि निकाय कार्य एंव शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से सम्बन्धित है, उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है।

7.3 निकाय अपनी लागत संशोधित करेगा, जो कि समय–समय पर इससे सम्बन्धित है। ऐंसी उपभोक्ता लागत जिसके अंर्तगत मल निस्तारण लागत परिवहन एंव फीकल सल्ज एंव सेप्टेज के निष्कासन हेतु।

7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किये जाये जो निम्नवत् है।

अ. उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष रुप से निकाय द्वारा वसूल किया जायेगा या निकास फण्ड मे जमा किसा जायेगा। सम्बन्धित भवन/सेप्टिक टैंक मालिक से।

ब. निकाय किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जिसके अर्न्तगत फीकल सल्ज एंव सेप्टेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्रित की जायेगी। जो कि उस क्षेत्र विशेष स्वामी का है और सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से सम्बन्धित है। एक यादगार समझदारी निकाय और अधिकृत फीकल सल्ज एंव सेप्टेज परिवहनकर्ता के बीच अनुबंधित होगी। जो यह अधिकारी देगा कि वह इसकी लागत वसूल करें और उसका भुगतान निकाय को करना होगा।

स. उपभोक्ता लागत का मासिक सिचाई लागत सा सम्पत्ति कर मे जोडा जायेगा या एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस या भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अंतर्गत होगा,करना पडेगा।

सारणी 2: उपभोक्ता लागतः–

क्र0 सं0	वर्ग	प्रति यात्रा लागत	विराम की अधिकतम अवधि जो कि सेप्टिक टैंक एंव षौचालय गड्डे हेतु निर्धारित है	मासिक दंड 1.5 की दर सामान्य लागत के लिए जो कि निर्धारित मल निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा
1	टीनशैड वाला मकान	1000	कम से कम 2–3 वर्ष में एक बार	50
2	अन्य समस्त मकान	3500	जब टैंक 2 होते है	100
3	दुकान	2500	2/3 जो भी पहले भरा जाये कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार जब टैंक का 2/3 भाग पहले भरा हो	125
4	समस्त सरकारी/निजी कार्यालय	2000		250
5	बैंक	3500		312
6	सामुदायिक शौचालय/मूत्रालय	3000		500
7	रेस्टोरेंट	2000		500
8	होटल/गेस्ट हाउस 1–10 कमरें	3500		250
9	होटल/अतिथि गृह 11–20 कमरें	4000		250
10	होटल/अतिथि गृह 20 कमरें से ज्यादा	5000		500
11	धर्मषाला 1–25 कमरें	3500		625
12	धर्मषाला 15 कमरें से ज्यादा	5000		200
13	3 स्टार होटल	3500		400
14	5 स्टार होटल	5000		750
15	सरकारी स्कूल /कॉलेज	2000		1000
16	निजी स्कूल/कॉलेज	2500		500
17	2 व्हीलर व्हीकल षौरुम	2000		625
18	4 व्हीलर वाहन षौरुम	2500		500
19	सिनेमा हॉल	3500		625
20	होटल 0–20 कमरें	3500		1250
21	होटल 21 से 50 कमरें	4000		500
22	होटल 50 कमरें से अधिक	5000		550
23	विवाह हॉल/बैंकेट हॉल	3500		1100
24	बार	3500		625
25	सरकारी हॉस्पीटल	3000		625
26	नर्सिंग हॉम/क्लीनिक	3000		500
27	पैथोलोजिकल लैब	3000		500
28	निजी अस्पताल 20 विस्तर तक	3500		500
29	निजी अस्पताल 20 से 50 विस्तर तक	4000		1250
30	निजी अस्पताल 50 विस्तर से अधिक	5000		1500
31	चवल की मिल/ अन्य मिलि	3500		1750
32	अन्य उद्योग शिड्कूल क्षेत्र में	4000		500
33	अन्य उद्योग शिड्कूल क्षेत्र से बाहर	3500		1500

नोट:–

1. उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है, और उनका निर्णय और स्वीकृति नगर पालिका परिषद जोशीमठ चमोली द्वारा निर्णित किये जायेगें।

2. मल निस्तारण विषेश समयावधि में होगा या जब टैंक 2/3 की आपूर्ति कर देता है (जैसा कि नगर पालिका परिषद जोशीमठ चमोली द्वारा स्वीकृत है)।

3. उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढायी जायेगी।

8. मैकेनिजम का निरीक्षण, कियान्वयन और मजबूती देना:

8.1 कोई भी व्यक्ति जो कि एस0एम0सी0/ नगर पालिका परिषद जोशीमठ चमोली द्वारा अधिकृत है, उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सेप्टिक टैंक एंव हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या सामुदायिक/संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा।

8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, जुर्म्राना अलग से लगायया जायेगा, और इससे प्राप्त धनराशि नगर पालिका परिषद जोशीमठ में जमा होगी।

8.3 नगर पालिका परिषद जोशीमठ के अपने क्षेत्र के सेप्टिक टैक के खाली होने का अभिलेख रखेगें।

8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय–समय पर चलाया जायेगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति सरकार या निजी व्यवसायी के प्रशिक्षण हेतु होगी। जो कि सेप्टिक टैंक, बायोडाइजेस्टर,मल निस्तारण सेप्टिक टैंक का एकत्रीकरण,मशीनरी, परिवहन निष्पादन और सेप्टेज का इलाज।

9. दण्ड–

दंड का ढॉचा उपकरण से रहित/अकार्यषील जी0पी0एस0 प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायतें, फीकल सल्ज एंव सेप्टेज का एकत्र न करना और सेप्टेज इलाल प्लांट का /आर.एन.एल. का रजिस्ट्रीकरण न करना। सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाडियों का अनुपालन न करना।

सारणी 3: दंड

क्र0 सं0	शिकायत का प्रकार	दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्टया पकडी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन	दंड या कार्यवाही वर्ष में दुबारा पकडी गयी मल निस्तारण वाहन	दंड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकडी गयी विषेश रुप से मल निस्तारण वाहन
1	लोगो की सोचनीय सेवा की शिकायत	2500	5000	03 महीने के लिऐ परमिट सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीकरण
2	सेप्टेज /फीकल सल्ज जैसा कि विशेष कार्यक्षेत्र में	1000	6 माह कि लिये परमिट को स्थगित करना	
3	पंजीकरण न करना/पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	1000	20000	आर0टी0ओ0 को संस्तुति वाहन के पंजीकरण करने हेतु 3 महीने के लिए परमिट को स्थगित करना/परमिट का निरस्तीकरण लिए स्थगित करना
4	विशेष सुरक्षा उपायो का पालन न करना	5000	10000	
5	जी0पी0एस0 जो वाहन पर लगाया गया है उसका कार्य न करना	5000	10000	

एस0 पी0 नौटियाल,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, जोशीमठ।

शैलेन्द्र सिंह पंवार,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद, जोशीमठ।

कार्यालय नगर पंचायत सतपुली जनपद पौड़ी गढ़वाल

लाइसेंस शुल्क निर्धारण एवं संग्रह उपविधि–2020

जून, 2020

कार्यालय–नगर पंचायत, सतपुली (पौड़ी गढ़वाल)

सार्वजनिक सूचना

17 अक्टूबर, 2020 ई0

पत्रांक 336/उपविधि/न0पं0 सतपुली/2020–21–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत सतपुली, जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा–294 के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा–147 (1) के अन्तर्गत लाइसेंस शुल्क निर्धारण सम्बन्धी उपविधि बनाने का प्रस्ताव किया गया है। जिसे उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा–301 (1) के अन्तर्गत उन व्यक्तियों जिन पर इसका प्रभाव पडने की संभावना है, उनसे 30 दिन के अन्दर आपत्तियां एवं सुझाव आंमत्रित करने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है। बादमियाद प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा :–

1. यह उपविधि नगर पंचायत, सतपुली जनपद गढवाल (उत्तराखण्ड) के सीमान्तर्गत विभिन्न एवं निजी स्तर से संचालित व्यवसायों पर लाइसेंस शुल्क निर्धारण एवं संग्रह उपविधि सन् 2020 कहलायेगी।

2. परिभाषाएँ.

(1) नगर पंचायत से तात्पर्य नगर पंचायत, सतपुली जनपद गढवाल से हैं।

(2) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1916 (यू0पी0 म्यूनिसिपेलिटी एक्ट सं0-2 1916 तथा संशोधित) जो कि वर्तमान में उत्तराखण्ड प्रदेश में भी लागू है, से है।

(3) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य नगर पंचायत, सतपुली (गढवाल) के निर्वाचित अध्यक्ष एवं प्रशासक से है।

(4) '' अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत सतपुली (गढवाल) से हैं।

(5) '' लाइसेंस'' से तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा 294 व 298 की उपधारा (2) के अन्तगत शुल्क निर्धारण सम्बंधी उपविधियों के अधीन उल्लिखित एवं विभिन्न व्यवसायों को वर्गीकृत अनुसूची में वर्णित व्यवस्था व दरों से है तथा विभिन्न व्यवसायों के संचालन हेतु दी जाने वाली स्वीकृती से हैं।

(6) ''अवधि'' लाइसेंस की अवधि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। लाइसेंस वित्तीय वर्ष के किसी भी माह में जारी किया जाए, लाइसेंस अवधि 31 मार्च को समाप्त हो जायेगी।

(7) '' अनूसूची'' से तात्पर्य इस उपविधि में वर्णित व्यवसायों एवं लाइसेंस शुल्क की दरों से हैं।

(8) यदि कोई व्यवसाय एक से अधिक वर्गीकृत व्यवसायों श्रेणी में माना जा सकता हो, तो अनुसूची में जिस श्रेणी मद पर अधिक दर से लाइसेंस शुल्क चिन्हित किया गया हो, उसी के अनुसार उस व्यवसाय पर लाइसेंस शुल्क लगाया व वसूला जायेगा।

(9) व्यवसाय से सम्बंधित श्रेणी/विवरण (मद) के सम्बंध में अधिशासी अधिकारी का निर्णय अन्तिम व मन्य होगा।

3. लाइसेंस आवेदक द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र के साथ दो फोटो (पासपोर्ट साइज) देनी होगी तथा आवेदन में व्यवसाय/विवरण का उल्लेख भी करना होगा।

4. प्राप्त आवेदन-पत्र पर अधिशासी अधिकारी द्वारा समुचित विचारोपरान्त लाइसेंस दिये जाने /न दिये जाने का निर्णय लिया जायेगा। न दिये जाने की सूचना का कारण उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

5. अनुसूची में वर्णित व्यवसायों से सम्बंधित व्यवसाय द्वारा लाइसेंस 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के भीतर बना लिया जाना अनिवार्य होगा।

6. लाइसेंस की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च (1वित्तीय वर्ष) तक वैध होगा। अन्यथा स्थिति में विलम्ब शुल्क जो लाइसेंस शुल्क का 10 प्रतिशत से कम न होगा), लाइसेंस अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा व अतिरिक्त अधिभार के रुप में जमा करना होगा।

7. लाइसेंस धारक अपना व्यवसाय यदि बदलता है तो उसकी सूचना अनिवार्य रुप से एक माह के अन्दर नगर पंचायत कार्यालय में अपने पुराने लाइसेंस विवरण के साथ लिखित रुप से उपलब्ध करायेगा।

8. लाइसेंस जारी करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।

9. जॉचकर्ता की जॉच के समय व्यवसाय से सम्बंधित सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व व्यवसायी का होगा।

10. लाइसेंस अधिकारी स्वयं अथवा अपने एजेन्सी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जॉच का कार्य सम्पादित करा सकता है।

11. उक्त अनुसूची में वर्णित लाइसेन्स सम्बंधि नियम-उपनियमों का उल्लंघन होने अथवा पाये जाने की दशा में लाइसेन्स अधिकारी जनहित में किसी भी समय लाइसेन्स निरस्त कर सकता है । ऐसी स्थिति में लाइसेन्स अधिकारी के आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील प्रस्तुत करता है तो उस अपील की सुनवाई का अधिकार अध्यक्ष में निहित होगा।

12. नगर पंचायत सतपुली, जनपद गढवाल में इन उपविधियों/नियम-उपनियमों के तहत वर्तमान में प्रचलित विभिन्न लाइसेन्स उपविधियॉ उस सीमा तक, जो इस नियामावली के लिए असंगत होगी, वे निरस्त समझी जायेंगी।

13. जिन विषयों के सम्बंध में इस उपविधियों में कोई उप नियम नहीं होंगे उन विषयों में अधिशासी अधिकारी स्वविवेक अनुसार निर्णय ले सकता है ऐसा निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

14. अधिशासी अधिकारी समय≤ पर ऐसे प्रपत्र भी निहित कर सकता है, जो इन उपविधियों के सम्यक, पालन के लिए आवश्यक हो।

अनुसूची

क्र0स0	विवरण(मद)	निर्धारित दरें (रु. में)
1	2	3
1	होटल लॉज, 10 बेड तक	1500.00
2	होटल लॉज, 10 बेड से अधिक	3000.00
3	गेस्ट हाउस	1000.00
4	रेस्टोरेन्ट	1000.00
5	नर्सिंग होम	5000.00
6	पैथोलॉजी सेन्टर	1500.00
7	एक्स-रे सेन्टर	1500.00
8	डेन्टल क्लीनिक	1500.00
9	मेडिकल स्टोर	2000.00
10	मोटर गैरेज	800.00
11	स्कूटर गेरेज/रिपेयरिंग शॉप	600.00
12	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प, ऑयल कम्पनी	5000.00
13	चक्की	600.00
14	ड्राईक्लीनर	500.00
15	फर्नीचर के निर्माता	1200.00
16	फर्नीचर शोरुम /दुकान	2500.00
17	हार्डवेयर/लोहा व्यापारी, सीमेंट, ईट	3000.00
18	बिजली के सामान की दुकान	1800.00
19	कपड़ा व्यापारी/कपड़े की दुकान	2500.00
20	टैंट एवं कैटरिंग	2000.00
21	बेकरी (भट्टी)	1000.00

1	2	3
22	बेकरी (बिजली)	1500.00
23	ब्यूटी पार्लर	1500.00
24	कुकिंग गैस एजेंसी	5000.00
25	जनरल मर्चेन्ट	600.00
26	टेलरिंग हाउस 1 मशीन	300.00
27	टेलरिंग हाउस 3 मशीन	700.00
28	टेलरिंग हाउस 3 मशीन से अधिक	1200.00
29	ज्वैलर्स	3000.00
30	डेयरी	600.00
31	केबिल नेटवर्क	3000.00
32	ऑडियो एवं वीडियो लाइब्रेरी	800.00
33	एकाउन्टेंट, कन्सलटेंट आदि	2000.00
34	फाइनेन्स कम्पनी, चिटफण्ड आदि	3500.00
35	इन्श्योरेंश कम्पनी, प्रति शाखा	4500.00
36	मांस विक्रता (बकरा मुर्गा)	3000.00
37	विदेशी शराब की दुकान	25000.00
38	पान की दुकान	600.00
39	चाय की दुकान	600.00
40	किताबों की दुकान, स्टेशनरी	1500.00
41	लकड़ी का टाल	1000.00
42	रेडियो/टी0वी0/घड़ी/मोबाइल रिपेयरिंग	600.00
43	रेडियो/टी0वी0/मोबाइल की दुकान/शो रुम	2000.00
44	बर्तन/क्राकरी/प्लॉस्टिक सामान की दुकान	1500.00
45	मिठाई की दुकान	1500.00
46	चाट/बताशा की दुकान	500.00
47	सब्जी और फल की दुकान, छोटी	800.00
48	सब्जी और फल की दुकान, बड़ी थोक	2000.00
49	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	3000.00
50	चूड़ी/कॉस्मेटिक आदि	600.00
51	फोटोग्राफर	700.00
52	बारातघर	5000.00
53	प्राइवेट स्कूल	3500.00
54	रेडिमेट गारमेंट्स	1500.00
55	कबाड़ी	2500.00
56	कम्प्यूटर कोचिंग	1500.00
57	कम्प्यूटर जाब वर्क	1000.00
58	स्पेयर पार्ट्स की दुकान	800.00
59	खाने के होटल	1000.00

1	2	3
60	ढाबा	800.00
61	हेयर ड्रेसर	600.00
62	ऑप्टिकल्स	700.00
63	वाहन शोरुम (सेल्स सर्विस)	4000.00
64	परचून	1200.00
65	फुटवियर की दुकान	600.00
66	सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान	1000.00

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगर पालिका एक्ट 1916 की धारा 299 (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर पंचायत एतद्द्वारा निर्देश देती है कि उपरोक्त उपनियम 8 व 9 के किसी भी उपबन्ध का उल्लघंन करने के लिये अर्थदण्ड 1000/-रू0 (एक हजार) तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहा हो तो प्रथम दोष सिद्व के दिनांक से ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिनके बारे में यह सिद्व हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है, जो रू0 100/-(एक सौ) प्रतिदिन तक हो सकता है।

सुशील बहुगुणा,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत सतपुली,
गढ़वाल।

अंजना वर्मा,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत सतपुली,
गढ़वाल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 हिन्दी गजट/03–भाग 8–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।